

अध्याय VII : आयुध निर्माणी संगठन

7.1 आयुध निर्माणी संगठन का निष्पादन

7.1.1 परिचय

7.1.1.1 भारत के रक्षा उद्योग के इतिहास में आयुध निर्माणियाँ, 1787 से लेकर सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन है। पांच समूहों या प्रचालन समूहों (तालिका 17) के तहत विभाजित 41 निर्माणियाँ (परियोजना चरण में नालंदा एवं कोरवा के दो निर्माणियाँ सहित) रक्षा सेवाओं के लिए हथियार, गोलाबारूद, बख्तरबंद और पैदल सेना के लिए लड़ाकू वाहनों और पैराशूट

तालिका : 17

प्रचालन समूह	निर्माणियों की संख्या
गोला बारूद और विस्फोटक	11
हथियार, वाहन और उपस्कर	11
सामग्री और संघटक	8
बख्तरबंद वाहन	6
आयुध उपस्कर समूह	5
कुल	41
स्रोत : आयुध निर्माणियों का वार्षिक लेखा - 2014-15	

सहित कपड़ों की मदों का उत्पादन कर रही हैं। वे आयुध निर्माणी बोर्ड (बोर्ड) जो कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं।

7.1.1.2 परियोजना चरण में दो आयुध निर्माणियों की स्थिति

आयुध निर्माणी परियोजना, नालंदा भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा ₹941.13 करोड़ शुरूआती लागत मूल्य, जो संशोधित लागत मूल्य (फरवरी 2009) ₹2160.51 करोड़ हो गई, के 155 मि. मी. गोला बारूद के लिए प्रति वर्ष 2 लाख द्वि-माँड्यूलर चार्ज प्रणाली के विनिर्माण के लिए एक नई प्रणोदक निर्माणी के रूप में स्वीकृत (नवम्बर 2001) की गई थी। इस परियोजना को नवम्बर 2005 तक पूरा किया जाना था, जिसे बाद में मार्च 2019 तक पूरा करने के लिए संशोधित किया गया। 31 मार्च 2015 तक संयन्त्र एवं मशीनरी, सिविल कार्यो एवं परिचालन-पूर्व व्यय क्रमशः ₹320 करोड़, ₹507 करोड़ एवं ₹127 करोड़ थे। 31 मार्च 2015 तक परियोजना पर कुल ₹954 करोड़ व्यय किया गया।

आयुध निर्माणी परियोजना, कोरवा भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के द्वारा अनुमानित निवेश ₹408 करोड़ की लागत में 45000 कार्बाईन प्रति वर्ष के विनिर्माण के लिए संस्वीकृति दी गई (अक्टूबर 2007)। प्रारंभ में परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए तय समय सीमा अक्टूबर 2010 निर्धारित की गई, जिसे मार्च 2017 तक

संशोधित किया गया। 31 मार्च 2015 तक बोर्ड ने ₹142 करोड़, ₹116 करोड़ एवं ₹41 करोड़ क्रमशः सिविल कार्यों, सयंत्र एवं मशीनरी पर परिचालन-पूर्व व्यय किया। 31 मार्च 2015 तक परियोजना पर कुल ₹299 करोड़ व्यय किए गए।

₹1253 करोड़ खर्च करने के बावजूद कोई भी परियोजना बोर्ड के लिए उपयोगी साबित नहीं हुई।

7.1.1.3 बोर्ड के उद्देश्य हैं:

- सशस्त्र बलों के लिए गुणवत्तापूरक हथियारों, गोला बारूद, टैंकों और उपकरणों की आपूर्ति;
- गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उत्पादन सुविधाओं का आधुनिकीकरण;
- तकनीकी हस्तांतरण एवं घरेलू अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाना; तथा
- ग्राहकों की संतुष्टि को पूरा करना और उपभोक्ता आधार का विस्तार करना ।

7.1.1.4 ऊपर दर्शाए गए उद्देश्यों के संदर्भ में जहां प्रासंगिक हो, 2014-15 के दौरान हमने बोर्ड के निष्पादन का विश्लेषण किया है।

7.1.2 आयुध निर्माणी बोर्ड का निष्पादन

2010-15 के पांच वर्षों के लिए बोर्ड में प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्रों पर डेटा तालिका-18¹⁶ में संक्षिप्तीकरण किया गया है। प्रचालन समूहों से पृथक्कृत किया हुआ विवरण अनुलग्नक-IX में दिया गया है।

तालिका: 18

(₹ करोड़ में)

		वर्ष					विभिन्नता 2014-15 एवं 2013-14 के बीच (%)
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
I वित्तीय निष्पादन							
	राजस्व व्यय						
1	निर्धारित बजट (बी ई)	11,875	11,640	13,013	13,856	14,317	3
2	अंतिम स्वीकृति	11,195	12,332	11,821	12,954	13,617	5
3	वास्तविक राजस्व व्यय (अंतिम स्वीकृति के उपयोग %)	10,903 (97)	12,141 (98)	11,936 (101)	12,834 (99)	12,832 (94)	(-)0.02
4	अधिक (+)/बचत (-) (3)- (2)	(-) 292	(-) 191	(+) 115	(-) 120	(-) 785	554

¹⁶ तालिका में अंकित डाटा आवश्यकतानुसार पुनः व्यवस्थित किए गए।

		वर्ष					विभिन्नता 2014-15 एवं 2013-14 के बीच (%)
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
5	राजस्व प्राप्ति ¹⁷	11,491	12,876	12,553	12,001	12,001	0
6	माँगकर्ता के लिए जारी मदों की लागत	14,253	16,147	16,181	15,783	16,380	4
7	माँगकर्ता के लिए जारी मदों का मूल्य	15,425	17,273	17,119	16,122	16,664	3
8	लाभ (7)-(6)	1,172	1,126	938	339	284	16
पूँजीगत व्यय							
9	निर्धारित बजट	769	400	400	436	1,207	177
10	अंतिम स्वीकृति	456	293	357	466	765	64
11	पूँजीगत व्यय (वास्तविक)	454	279	349	465	746	60
12	अधिक (+)/बचत (-)(11)- (10)	(-2)	(-) 14	(-) 8	(-) 1	(-) 19	1800
II उत्पादन लागत- संघटक							
13	भंडार की लागत	8,710	10,070	9,746	9,303	9,269	(-)0.37
14	श्रम की लागत	1,319	1,490	1,617	1,705	1,959	15
15	अन्य लागतें यथा प्रत्यक्ष खर्च	136	159	216	239	274	15
16	उपरिव्यय	3,847	4,214	4,393	4,389	4,973	13
17	कुल उत्पादन लागत	14,012	15,933	15,972	15,636	16,475	5
18	सी ओ पी के प्रतिशत रूप में उपरिव्यय (16/17*100)	27	26	28	28	30	7
19	सी.ओ.पी. के प्रतिशत रूप में श्रम मूल्य (14/17*100)	09	09	10	11	12	9
III भंडार सूची							
20	मौजूदा भंडार	5,177	5,336	5,604	5,588	5,906	6
21	चालू कार्य (डब्ल्यू आई पी)	2,296	2,551	2,999	3,538	3,817	8
22	मार्गस्थ सामान	669	538	682	854	887	4
23	तैयार वस्तु/अवयव	1,214	1,212	1,206	1,305	1,698	30
24	कुल भंडार सूची	9,356	9,637	10,491	11,285	12,308	9
25	सी.ओ.पी. के प्रतिशत के रूप में भंडार सूची	67	60	66	72	75	4
26	सी.ओ.पी. के प्रतिशत के रूप में डबल्यू आई पी	16	16	19	22	23	5
IV श्रम एवं मशीन							
27	प्रत्यक्ष औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या (डी. आई.ई.)	48,200	46,568	47,166	46,206	44,464	(-) 4

¹⁷ रक्षा सेवा के विनियोग लेखा में 2013-14 तक साधारण शीर्ष 901 से 904 के तहत एवं प्रमुख शीर्ष 2079 के तहत थल सेना, वायु सेना, नौ सेना एवं अन्य रक्षा विभाग के आपूर्ति की वसूली "कटौती" के अंतर्गत दिखाई गई है। दूसरे माँगकर्ता को आपूर्ति की वसूली प्रमुख शीर्ष 0079 के अंतर्गत जमा की गई है।

		वर्ष					विभिन्नता 2014-15 एवं 2013-14 के बीच (%)
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
28	डी.आई.ई. का अनुपातित निरीक्षणात्मक अधिकारी	1.5:1	1.41:1	1.46 : 1	1.5 : 1	1.5 : 1	0
29	प्रति कर्मचारी उत्पादन (₹ हजार में)	1,437	1,674	1,682	1,680	1,821	8
30	श्रम घंटे उपयोग (%)	125	127	129	127	127	0
31	उपलब्ध मशीन घंटे (लाख घंटे में)	1,830	1,577	1,603	1,203	1,001	(-) 17
32	मशीनी घंटे उपयोग (%)	72	78	76	73	75	3
V मांगकर्ता के अनुसार जारी मर्दे							
33	थल सेना	9,225	10,027	9,609	8,609	9,098	6
34	वायु सेना एवं नौ सेना	463	433	433	539	562	4
35	अन्य रक्षा विभाग	111	192	138	147	164	12
36	केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक पुलिस संगठन (गृह मंत्रालय)	635	826	831	782	650	(-)17
37	निर्यात सहित सिविल व्यापार	781	913	963	1,046	889	(-)15
38	आई एफ डी आपूर्ति ¹⁸	4,210	4,883	5,145	4,999	5,301	6
39	कुल मर्दे	15,425	17,274	17,119	16,122	16,664	3
VI अनुसंधान एवं विकास							
40	आर. एण्ड डी पर व्यय	40	36	48	43	56	30
41	कुल राजस्व व्यय में आर एण्ड डी व्यय के प्रतिशत के रूप में	0.29	0.30	0.40	0.34	0.44	29
स्त्रोत : ओ एफ बी के बजट एवं व्यय के विवरण एवं आयुध निर्माणियों का वार्षिक लेखा							

तालिका-2 में दिए गए डाटा द्वारा, प्रचलन पर हमारे विश्लेषण के बारे में आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

बजटिंग

7.1.2.1 राजस्व व्यय व प्राप्ति

आयुध निर्माणी बोर्ड (बोर्ड) स्वीकृति सं. 25 के तहत अपने खर्चों अर्थात् राजस्व व्ययों के लिए बजटीय अनुदान प्राप्त करता है। 2014-15 में कुल अनुदान ₹13,617 करोड़ रुपये रहा। रक्षा स्थापनाओं को जारी मर्दों के लिए इसकी प्राप्तियों एवं खर्चों के लिए उसी मुख्य शीर्ष : 2079 का उपयोग किया जाता है जिसे लघु शीर्ष 901 से 904 के तहत एवं मुख्य शीर्ष 2079 के तहत कटौती के माध्यम से दिखाया गया है। दूसरे मुख्य शीर्ष 0079 गैर-सरकारी स्थापनाओं को उत्पादन की बिक्री के लिए खुले

¹⁸ आई एफ डी : अन्तर-निर्माणी माँग, जहाँ सहोदर निर्माणी दूसरी निर्माणी के भंडारण की जरूरतों को पूरा करती है।


बाजारों या निर्यात में प्राप्ति का अभिलेख रखता है जो भारत की संचित निधि में जमा हो जाता है।

भंडारों पर व्यय: ₹5,687 करोड़ जो कुल व्यय का 44 प्रतिशत था, ₹6,609 करोड़ रुपये के बजट आंकड़े से 14 फीसदी कम था, और 2014-15 में बोर्ड द्वारा की गई व्यय में सबसे महत्वपूर्ण कटौती का द्योतक है।

7.1.2.2 पूंजीगत व्यय

बोर्ड पूंजीगत व्यय (मुख्य शीर्ष 4076), जिसे नया पूंजीगत (एन सी) अनुदान भी कहा जाता है, के लिए बजटीय समर्थन प्राप्त करता है। इस अनुदान को संयंत्र और मशीनरी सहित नई परियोजनाओं पर व्यय किया जाता है, जिसके अंतर्गत 2014-15 में ₹746 करोड़ खर्च किए गए। इसके अलावा, एक अलग निधि जिसे नवीकरण और प्रतिस्थापन निधि (आर आर निधि) कहा जाता है, से पुरानी मशीनरी को बदलने के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में यह निधि राजस्व अनुदान¹⁹ के वार्षिक स्थानान्तरण द्वारा ₹76 करोड़ से बनाई गई है।


वर्षों से एनसी अनुदान के तहत पूंजीगत व्यय, आयुध निर्माणी बोर्ड के कुल खर्च का केवल तीन से पाँच प्रतिशत है। यद्यपि 2012-13 के आंकड़ों से 2014-15 के पूंजीगत व्यय में 114 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 6)। पूंजीगत व्यय का लगभग 37 प्रतिशत लेते हुए पूंजीगत खरीद से गोला बारूद और विस्फोटक (ए एंड ई) समूह सर्वाधिक लाभान्वित हुआ।



¹⁹ आरआर फंड के लिए प्रति वर्ष राजस्व अनुदानों (मुख्य शीर्ष -2027) से स्थानांतरित निधि मशीन एवं संयंत्र के वार्षिक हास तथा वार्षिक प्रतिस्थापन के लिए अनंतिम व्यय के बराबर होता है।

7.1.2.3 भण्डार-सूची का रखना


चार्ट-7



2014-15 में निर्माणियों में भण्डार-सूची का रखाव 2010-11 में ₹9,356 करोड़ से 32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2014-15 में ₹12,308 करोड़ हो गया। हालांकि 2013-14 में कुल भंडार के रखाव में 9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई थी। इस भण्डार के रखाव का स्तर 2014-15 के उत्पादन की लागत का 75 प्रतिशत के साथ काफी ऊँचा था। मौजूदा भण्डार कुल


भण्डार सूची का लगभग आधा है (चार्ट-7)। मौजूदा भण्डार जो कि बोर्ड की निर्माणियों द्वारा उत्पादन हेतु खरीदा गया भण्डार है जोकि पूरे वर्ष में बोर्ड की निर्माणियों द्वारा उपयोग नहीं किया जा सका, उसने पिछले पाँच वर्षों 2010-15 में बढ़त की ओर प्रवाह प्रदर्शित किया है। चालू कार्य (उत्पादन की अर्द्ध-परिष्कृत अवस्था में मद) में भी इस अवधि में वृद्धि हुई (चार्ट-8)।

चार्ट-8



भण्डार सूची के रखाव का उच्च स्तर कई कारकों के मिलने से हुआ है। मार्च 2010 में, बोर्ड ने निर्माणियों को अगले तीन वर्षों की जरूरतों को ढीली-ढाली सुपर्दगी²⁰ के साथ खरीद के लिए अधिकृत किया। इसने 2010 के बाद भंडार की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए नेतृत्व किया। (चार्ट-9)

चार्ट-9




²⁰ यह निर्णय 'मॉगपत्र के सापेक्ष बजट आवंटन एवं भण्डारों की शेल्फ लाईफ को देखते हुए मूल्य बदलाव शर्त (व्यापारिक खरीद के लिए) एवं ढीली-ढाली सुपर्दगी के साथ अगले तीन वर्षों की आवश्यकताओं (दो वर्ष+50% विकल्प शर्त) के लिए आईएफडी मदों सहित इनपुट सामग्री की खरीद के लिए था।

7.1.2.4 जारी की गई मदों का मूल्य: बिक्री

2010-11 में जारी की गई मदों के मूल्य में ₹15,425 करोड़ से 8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2014-15 में बढ़कर ₹16,664 करोड़ हो गई। हालांकि 2013-14 की तुलना में 2014-15 में मामूली वृद्धि हुई।

थल सेना 2014-15 में कुल जारी मदों के लगभग 80 प्रतिशत के साथ आयुध निर्माणियों के उत्पादों के लिए सबसे बड़ी माँगकर्ता थी जबकि सिविल व्यापार तथा आयात आठ प्रतिशत के साथ दूसरा स्थान पर था (चार्ट-10)।




अग्रिम वाउचरों²¹ का जारी करने को बंद करने के बोर्ड के आश्वासन के बावजूद, हमने पाया कि यह प्रथा अभी भी कायम है। उदाहरण के लिए, गन एण्ड सेल निर्माणी, काशीपुर ने थल सेना को 84 मि. मी. रॉकेट लाँचर मार्क-II (94 संख्या) जारी करने के लिए मार्च 2015 में ₹10 करोड़ के अग्रिम वाउचर जारी किए यद्यपि, यह वास्तविक रूप में थल सेना को अप्रैल-जून 2015 के दौरान जारी किए गए थे।

7.1.2.5 मशीनों का उपयोग

2014-15 में जबकि श्रम घंटों का उपयोग 127 प्रतिशत प्रतिवेदित किया गया था, मशीन घंटों का उपयोग केवल 75 प्रतिशत था। पाँच वर्षों के दौरान एक लगातार कमी दर्शाते हुए, 2010-15 में उपलब्ध मशीनों के घंटों घट गए (चार्ट-11)।

यह गिरावट मशीनों के बढ़े हुए डाउन-टाइम के कारण या नई खरीदी गई मशीनों का पुरानी और सर्विस न किए जाने योग्य मशीनों के साथ तालमेल न होने के कारण हो सकता है। इस संदर्भ में स्थापित न की गई मशीन व संयंत्र की स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है, अर्थात् मशीनें खरीदी गईं लेकिन उत्पादन शुरू करने के लिए चालू न की जा सकी। कुल ₹1,038




²¹ अग्रिम वाउचर जारी करने का मतलब समानों को भौतिक रूप से जारी किए बिना माँगकर्ता से भुगतान के लिए माँग में वृद्धि।

करोड़ की लागत की 364 मशीनें निर्माणियों में बिना चालू किए पड़ी हुई थीं, जिसमें से क्वचित वाहन समूह का कुल चालू न की गई मशीनरी में 44 प्रतिशत हिस्सा था।

7.1.2.6 उत्पादन की लागत और लागत की वसूली

आयुध निर्माणी बोर्ड में उत्पादन लागत का 56 प्रतिशत भंडार के कारण है। आयुध निर्माणी बोर्ड ने उत्पादन लागत के 30 प्रतिशत के साथ उपरिव्यय विशेषरूप से ज्यादा हैं जैसाकि चार्ट-12 में दिखाया गया है। 2014-15 में उत्पादन लागत ₹16,475 करोड़, 2013-14 के आंकड़ों से थोड़ा ही ज्यादा थे। क्वचित वाहन समूह तथा गोला-बारूद एवं विस्फोटक (ए एण्ड इ) समूह सबसे ज्यादा सामग्री उपयोग के साथ, लागत का संरचना समूहों (अनुलग्नक-IX) में भिन्न-भिन्न है। आयुध उपकरण समूह जो कपड़े और सामान्य उद्देश्य की मर्दों को बनाता है, निर्माणियों में सबसे ज्यादा श्रम उन्मुख था।



उपरिव्ययों की लागत, उत्पादन लागत का 30 प्रतिशत है। उच्च उपरिव्यय श्रम शक्ति पर अधिक लागत का परिणाम है, जोकि उत्पादन के लिए प्रत्यक्षरूप से नहीं लगाया जाता है। सामग्री एवं उपकरण समूह जोकि बोर्ड की सबसे पुरानी निर्माणियों में से है ने उपरिव्ययों के उच्चतम स्तर को प्रतिवेदित किया: अचल उपरिव्यय एवं चल उपरिव्यय क्रमशः 25 प्रतिशत एवं 11 प्रतिशत के साथ, कुल योग 36 प्रतिशत उत्पादन लागत के प्रतिशत रूप में थे।

इनपुट भंडारों के लिए आयुध निर्माणियों मुख्य रूप से अपनी सहोदर निर्माणियों पर भरोसा करती है, ऐसे भंडारों को अंतर-निर्माणी माँग (आई एफ डी) कहा जाता है। आई एफ डी उत्पादन की अक्षमता, जैसाकि उनको जारी करने में हुई हानियों से प्रदर्शित होता है, को एकत्रीकारक निर्माणियों में अधिक उत्पादन द्वारा पूरा किया जाता है। कुल मिलाकर जारी आई एफ डी में 2013-14 में हुए 11 प्रतिशत हानि की तुलना में 2014-15 में ₹83 करोड़ की हानि हुई।

7.1.3 हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया समग्र रूप से संगठन एवं इसकी प्रत्येक इकाई के लिए जोखिम की माप जोकि किए गए खर्च, गतिविधियों की नाजुकता एवं जटिलता,

प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का स्तर तथा समग्र आंतरिक नियंत्रण एवं शेयर धारकों की चिंताओं की माप पर आधारित होता है। इस कार्य में पहले के लेखापरीक्षा परिणामों पर भी विचार किया गया है। जोखिम माप के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति एवं फैलाव पर निर्णय किया जाता है। ऐसे जोखिम माप के आधार पर लेखापरीक्षा करने हेतु एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण हो जाने के पश्चात, लेखापरीक्षा परिणामों को दर्शाता स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एल टी ए आर) उस इकाई के प्रमुख को भेजा जाता है। इन इकाइयों से एल टी ए आर की प्राप्ति के एक महीने के भीतर लेखापरीक्षा परिणामों पर उत्तर प्रेषित करने का निवेदन किया जाता है। जब कभी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो निराकरण कर दिया जाता है अथवा अनुपालन हेतु कदम उठाए जाने की सलाह दी जाती है। इन एल टी ए आरों से निकलने वाली महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। 2014-15 के दौरान 3,910 कार्य दिवसों में लगाकर 94 इकाइयों की लेखापरीक्षा कराई गई। हमारी लेखापरीक्षा योजना में यह सुनिश्चित किया गया कि उपलब्ध श्रम शक्ति संसाधनों का उपयोग करते हुए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इकाइयों, जिनमें जोखिम ज्यादा था, शामिल की जाएं।

2014-15 में हमने 513 एल टी ए आर पैराग्राफ जारी किए। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल 2014 को 1628 एल टी ए आर पैराग्राफ बकाया थे। 2014-15 के दौरान कुल 822 पैराग्राफ निपटाए गए। 31 मार्च 2015 तक 1319 एल टी ए आर पैराग्राफ शेष बचे हुए थे, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

समय	शेष बचे हुए पैराग्राफ की संख्या
छः माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	458
1 वर्ष से अधिक एवं 2 वर्ष तक	252
2 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्षों तक	549
5 वर्षों से अधिक	60
कुल	1319

मंत्रालय/बोर्ड को पुराने बचे हुए पैराग्राफ जल्द से जल्द निपटाने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

योजना

7.2 विलम्ब से आदेश देने के कारण अतिरिक्त व्यय

निर्माणी एवं बोर्ड के विभिन्न स्तरों पर चूक के कारण आयात के आदेशों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के फलस्वरूप गन कैरिज निर्माणी द्वारा उच्चतर दरों पर 25 पूर्ण रूप से निर्मित तोपों की अधिप्राप्ति पर ₹4.58 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

आयुध निर्माणी बोर्ड (बोर्ड) की अधिप्राप्ति नियम-पुस्तिका 2010 में अधिप्राप्ति मामलों में आदेशों की अनुबन्ध की तारीख से 19 सप्ताह की एक समय सीमा निर्धारित²² की गई। नियम-पुस्तिका में आगे कहा²³ गया है कि अधिप्राप्ति प्रक्रिया की श्रृंखला में हर व्यक्ति एक निर्धारित समय अवधि में कारवाई के लिए जबाबदेह है, ताकि रक्षा विभागों की आवश्यकता को समय पर पूरा किया जा सके।

गन कैरिज निर्माणी, जबलपुर (जी सी एफ) भारी वाहन निर्माणी, आवडी (एच वी एफ) में टी-90 टैंक में लगाने के लिए एक मद 2ए46एम (पूरी तरह से तैयार तोपें) बनाती है। बोर्ड ने जी सी एफ को मेसर्स रोसोबोरोनएक्सपोर्ट, रूस (आर ओ ई), जो कि टी-90 टैंकों की मूल उपस्कर निर्माता है, से 25 तोपों के लिए आयात के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया (नवम्बर 2011)।

बदले में, जी सी एफ ने 25 पूरी तरह से बनाई तोपों की अधिप्राप्ति के लिए आर ओ ई पर (जनवरी 2012 में) एक निविदा जांच (टी ई) जारी की। टी ई की प्रतिक्रिया में, आर ओ ई ने (जून 2012) में 25 पूरी तरह से बनाई तोपों की आपूर्ति के लिए 41.86 लाख यू एस डी की कुल लागत का एक ड्राफ्ट अनुपूरक समझौता प्रस्तुत किया। इस बीच, जी सी एफ को बोर्ड द्वारा डायरेक्टर जनरल आफ मैकेनाइज्ड फोर्सिस से 236 टी-90 टैंकों की आपूर्ति हेतु शीघ्र ही एक माँगपत्र प्राप्ति की सम्भावना को देखते हुए वर्ष 2013-14 एवं उसके पश्चात टी-90 टैंकों के लिए आवश्यक सामग्री के भण्डारण की सम्भावना आवश्यकता पर जोर देते हुए, निर्देश (मई 2012) प्राप्त हुआ। इसके वावजूद, जी एस एफ ने (अगस्त-2012) 25 तोपों की अधिप्राप्ति प्रक्रिया को बन्द कर दिया। तथापि, 4 महीनों के उपरान्त, जी सी एफ ने आर ओ ई को वर्ष 2013-14 में तोपों की जरूरत को देखते हुए प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः सम्पर्क किया (जनवरी 2013)।

फिर भी, आर ओ ई ने 25 पूरी तरह से बनाई गयी तोपों की आपूर्ति के लिये कुल व्यय 47.31 लाख यू एस डी की लागत का एक प्रस्ताव भेजा (मार्च 2013) जो कि पूर्व प्रस्ताव (जून 2012) से 13 प्रतिशत अधिक था। यह प्रस्ताव मई 2013 तक वैध

²² अधिप्राप्ति पुस्तिका के पैरा 5.5.2 को अनुलग्नक-1 के साथ संलग्न।

²³ अधिप्राप्ति पुस्तिका का पैरा 2.6.1

था। जी सी एफ ने अधिप्राप्ति के लिये तुरंत कार्रवाई नहीं की एवं 2 महीनों के उपरान्त जी सी एफ ने आर ओ ई को उनके प्रस्ताव की वैधता की अवधि बढ़ाने का अनुरोध (जून 2013) किया। आर ओ ई ने इस शर्त के साथ कि आगे कोई भी विस्तार नहीं दिया जायेगा उनके प्रस्ताव की वैधता 20 जुलाई 2013 तक बढ़ा दी (जून 2013) एवं जी सी एफ को 5 जुलाई 2013 तक अपना निर्णय देने की प्रार्थना की।

हमने अवलोकन किया, कि जी सी एफ ने मामले को बोर्ड की मंजूरी²⁴ के लिये भेजा (जून 2013)। तथापि, 2 महीनों के उपरान्त एवं आर ओ ई के प्रस्ताव की समाप्ति पर बोर्ड ने मामले को जी सी एफ को यह कहते हुये वापस किया (अगस्त 2013) कि जुलाई 2013 में हुई बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, अधिप्राप्ति हेतु निर्माणी की वित्तीय क्षमता बढ़ाकर ₹50 करोड़ कर दी गई है। उसके बाद जी सी एफ ने प्रस्ताव की वैधता की अवधि को बढ़ाकर जनवरी 2014 करने के इस मामले को आर ओ ई के सामने उठाया (अक्टूबर 2013)। परंतु आर ओ ई ने जी सी एफ का निवेदन स्वीकार करने से इंकार कर दिया (दिसम्बर 2013) एवं 25 तोपों की आपूर्ति के लिये 49.72 लाख यू एस डी की कुल लागत का एक नया प्रस्ताव रखा (दिसम्बर 2013)। मार्च 2014 में, आर ओ ई ने बातचीत के दौरान अपना प्रस्ताव 49.72 लाख यू एस डी से घटाकर 49.07 लाख यू एस डी कर दिया। निविदा क्रय समिति स्तर-1 की बैठक में (मार्च 2014) में आर ओ ई पर 49.07 लाख यू एस डी की लागत से 25 पूरी तरह से तैयार तोपों की आपूर्ति के लिए आदेश देने का फैसला किया गया।

अंत में, अधिप्राप्ति प्रक्रिया की शुरुआत के 19 सप्ताहों की निर्धारित अवधि के सापेक्ष दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद जीसीएफ ने आर ओ ई के साथ 25 पूरी तरह से तैयार तोपों की अधिप्राप्ति के लिए एक अनुपूरक समझौता (मार्च 2014) किया और जनवरी 2015 में (अनुपूरक समझौते की तारीख से 9 महीनों के बाद) आर ओ ई के पक्ष में 7.36 लाख यू एस डी का अग्रिम भुगतान किया। आर ओ ई ने 25 पूरी तरह से बनाई तोपों की सुपर्दगी (अगस्त 2015) की और शेष भुगतान (85 प्रतिशत) प्राप्त किया (अगस्त 2015)।

बोर्ड और निर्माणी के विभिन्न स्तरों पर चूक के कारण आयात आदेश को अंतिम रूप देने में हुए विलम्ब के कारण जी सी एफ को 25 पूरी तरह से तैयार तोपों की अधिप्राप्ति प्रक्रिया में उच्च दरों पर ₹4.58 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

इसके जबाब में, बोर्ड ने कहा (मार्च 2016) कि (i) चूँकि जी सी एफ ने 2012-13 तक के लिए एच वी एफ की माँग को पूरा कर दिया था, अतः उन्होंने सोच समझ कर खरीद प्रक्रिया को 25 तोपों तक के लिए कम कर दिया (अगस्त 2012), विशेष

²⁴लेनदेन का वित्तीय मूल्य महाप्रबन्धक की ₹ 20 करोड़ की वित्तीय क्षमता के अंदर नहीं था।

रूप से जबकि थलसेना की ओर से टी-90 टैंकों के लिए नया मॉडल (अंततः दिसंबर 2013 में मिला) तथा एच वी एफ से तोपों के लिए अन्तर निर्माणी मॉडल (आई एफ डी) (सितंबर 2012 में मिला) जी सी एफ द्वारा प्राप्त नहीं हुई थी। (ii) तोपों की अतिरिक्त मात्रा के लिए सितंबर 2012 में नए आई एफ डी की प्राप्ति के साथ जी सी एफ ने (जनवरी 2013) -वर्ष 2013-14 में तोपों की जरूरत पर विचार करते हुए आर ओ ई से उनका प्रस्ताव, जोकि आर ओ ई ने स्वीकार नहीं किया और आर ओ ई ने मार्च 2013 में एक नया वाणिज्यिक प्रस्ताव भेजा, पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किया; एवं (iii) आर ओ ई से नए वाणिज्यिक प्रस्ताव के मिलने पर जी सी एफ ने मामले पर द्रुत प्रक्रिया कर टी पी सी/बोर्ड का अनुमोदन तत्कालीन वित्तीय क्षमता के अनुसार प्राप्त किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जी सी एफ पर एच वी एफ के नवम्बर 2004 की आई एफ डी के प्रति दिसम्बर 2009 तक 300 तोपों के विनिर्माण और आपूर्ति की तुलना में जी सी एफ ने मार्च 2012 तक मात्र 211 तोपों की आपूर्ति की (जिसमें 150 आयातित तोपें और 61 पूर्व-जी सी एफ तोपें हैं) जिससे 89 तोपों की कमी रह गई। वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान जी सी एफ में 31 तोपों के औसत उत्पादन के चलते शेष 58 तोपों के आयात की जरूरत थी तथा प्रबंधन द्वारा इसे पूरा करने के लिए जून 2012 के आर ओ ई के वाणिज्यिक प्रस्ताव पर आयात कारवाई को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए था। इसलिए अगस्त 2012 में आयात कारवाई बंद कर देना निर्माणी का एक अविवेकपूर्ण कार्य था।

इस तरह, निर्माणी/बोर्ड के विभिन्न स्तरों पर चूक के कारण आयात के आदेशों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के फलस्वरूप जी सी एफ को पूरी तरह से बनाई 25 तोपों की अधिप्राप्ति प्रक्रिया में उच्च दरों पर ₹4.58 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

मामला रक्षा मंत्रालय को भेजा गया था (दिसंबर 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

7.3 उपस्करों की अधिप्राप्ति एवं स्थापना में विफलता के कारण बचत की हानि

(i) कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी प्रणाली एवं (ii) एल आई एन ए सी मशीन की समय पर अधिप्राप्ति एवं स्थापना में ओ एफ बी एल की विफलता के कारण महंगी एक्सरे फिल्म तथा भरे हुए सेल के एक्सरे हेतु रसायन की खपत के परिणामस्वरूप ₹4.62 करोड़ की राशि बचाने का अवसर हाथ से निकल गया।

आयुध निर्माणी, बडमल (ओ एफ बी एल) 125 मि. मी. उच्च विस्फोटक गोलाबारूद (गोलाबारूद), जो टी-72 टैंक पर लगे बंदूको में प्रयोग होता है, का विनिर्माण एवं

आपूर्ति करता है। कारखाने में आयोजित गुणवत्ता परीक्षण में से एक लिनियर एसीलेरेटर मशीन²⁵ (एल आई एन ए सी) की मदद से भरे हुए गोला-बारूद की एक्सरे फिलिमिंग करना है।

टी-72 तोपों की दुर्घटनाओं के बारे में एक स्टैंडिंग कमिटी²⁶ बनाने हेतु (मार्च 2010), रक्षा मंत्रालय (मंत्रालय) को अवगत कराया गया, जिसने यह अनुशंसा (जनवरी 2011) दी कि प्रणाली को स्वचालित²⁷ किया जाए एवं छः महीने के अंदर इसे ऑन लाईन बनाया जाए। इस अनुसार मंत्रालय ने (जून 2011) स्वचालित प्रणाली की जल्द से जल्द स्थापना के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड (बोर्ड) को निर्देश दिया। तदनुसार, स्टैंडिंग कमिटी की अनुशंसा एवं मंत्रालय के निर्देशानुसार, निर्माणी को दिसंबर 2011 तक स्वचालित प्रणाली की स्थापना करनी थी। इस प्रणाली में ओ एफ बी एल के युनिट-5 एवं युनिट-10 पर पहले से स्थापित एल आई एन ए सी मशीन की जगह पर एक डिजिटल ईमेजिंग सिस्टम (एक्स-रे फिल्म एवं रसायनों के प्रयोग वाली परंपरागत तरीके के विरुद्ध) की अधिप्राप्ति एवं स्थापना शामिल थी।

हमने देखा कि यद्यपि पहले से मौजूद एल आई एन ए सी मशीनें ओ एफ बी एल के द्वारा अप्रचलित²⁸ घोषित (अक्टूबर 2011) की जा चुकी थी, उन्होंने युनिट-5 पर एल आई एन ए सी की प्रतिस्थापना के अधिप्राप्ति कार्यों को शुरू (नवंबर 2011) कर दिया। ओ एफ बी एल के द्वारा युनिट-10 पर इस अप्रचलित मशीन के प्रतिस्थापन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया एवं यह मशीन कार्यात्मक हालत में रही थी। युनिट-5 अनुभाग के लिए एल आई एन ए सी मशीन के अधिप्राप्ति कार्य भी कोई फलदायक नहीं रहे (मार्च-2016) क्योंकि (क) जुलाई 2013 की बढ़ाई गई वैधता अवधि में ग्लोबल टैंडर जाँच (मई 2012) के विरुद्ध दो फर्मों के द्वारा लगाई गई तकनीकी बोली को पूर्ण रूप देने में विफलता के परिणामस्वरूप ओ एफ बी एल ने पुनः निविदा निकालने का निर्णय (नवम्बर 2013) लिया एवं (ख) 19 महीने के उपरान्त एल आई एन ए सी मशीन के प्रतिस्थापन के लिए ओ एफ बी एल ने आयुध निर्माणी बोर्ड की सहमति के लिए नई मांग (जून 2015) प्रस्तुत की, जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड से अनुमोदन (जून 2015) मिलने के बाद निर्माणी के द्वारा जी टी ई जारी (सितम्बर 2015) किया गया। ओ एफ बी एल मार्च-2016 में इसके जी

²⁵ एल आई एन ए सी एक जरूरी एक्स-रे कैमरा है जिसमें एक्स-रे फिलिमिंग के द्वारा चार दिशाओं से छिद्रता, दरार, पाइपिंग, गुहा आदि दोषों को पकड़ा जाता है। प्रत्येक एक एल आई एन ए सी मशीन निर्माणी के यूनिट-5 एवं यूनिट-10 में लगायी गयी है।

²⁶ बिग्रेडियर नीरज पाठक की अध्यक्षता में।

²⁷ मशीनों के स्वचालन से ऑनलाईन डिजिटल इमेज उपलब्ध होंगे, जिससे महँगी एक्स-रे फिल्मस के दाम कम होंगे, आसान विश्लेषण के लिए एवं भंडारण की लम्बी अवधि की सुविधा मिलेगी।

²⁸ उपस्कर तकनीकी रूप से पुराना है (जरूरत के अनुसार भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है) एवं उपस्कर के एक अग्रगामी वर्जन का नमूना बाजार में आ चुका है जिसकी जरूरत नीतिगत जरूरतों/प्रशिक्षण के लिए सेवा में बनाए रखने की है।

टी ई (सितम्बर 2015) के प्रति प्राप्त प्रस्तावों को पूर्ण रूप देने के लिए प्रक्रियाधीन था।

हमने यह भी देखा कि यद्यपि निर्माणी को दिसंबर 2011 तक नवीनतम तकनीक के अनुसार दो एल आई एन ए सी के साथ प्रतिस्थापन के लिए डिजिटल इमेजिंग सिस्टम की अधिप्राप्ति एवं स्थापना की जरूरत थी, ओ एफ बी एल ने केवल अगस्त 2015 में कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी सिस्टम (डिजिटल इमेजिंग सिस्टम) की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव की शुरुआत की, जो कि बोर्ड के द्वारा लगभग ₹ 0.75 करोड़ की लागत पर स्वीकृत कर ली गई। दिसंबर 2015 में के बोर्ड की स्वीकृति के बाद ओ एफ बी एल ने विज्ञापन निदेशक एवं विजुवल विज्ञापन, नई दिल्ली को एक निविदा जिसके खुलने की तिथि 23 मार्च 2016 थी, को जारी करने के लिए एक ड्राफ्ट विज्ञापन (फरवरी 2016) प्रस्तुत किया।

कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी सिस्टम की आपूर्ति को उचित ठहराते हुए (अगस्त 2015), ओ एफ बी एल ने ₹1.10 करोड़ वार्षिक बचत की गणना की, जिसमें परंपरागत प्रणाली से फिल्मस एवं रसायन का उपयोग कर कुल खर्च ₹4.02 करोड़ प्रतिवर्ष आता था एवं कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी सिस्टम का उपयोग कर कुल खर्च ₹2.92 करोड़ वार्षिक (कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी सिस्टम का मूल्य एवं आई पी प्लेट्स का मूल्य एवं कैसेट का मूल्य प्रतिवर्ष) रूप में पहले वर्ष हुई एवं दूसरे वर्ष एवं उसके बाद से ₹1.84 करोड़ की संभावित बचत हुई। (कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी सिस्टम के मूल्य को छोड़कर जिसे पहले वर्ष में शामिल किया गया था।

इस प्रकार, समय पर कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी सिस्टम की अधिप्राप्ति एवं स्थापना एवं यूनिट 10 में नई मशीन के प्रतिस्थापन की जगह पर अप्रचलित मशीन के उपयोग के उनके निर्णय में ओ एफ बी एल की विफलता के कारण वर्ष 2012-13 से 125 मि. मी. गोलाबारूद के भरे हुए शेल की एक्स-रे करने के लिए महँगे एक्स-रे फिल्मस एवं रसायन का उपयोग किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप ₹4.62 करोड़ के बचत का अवसर छूट गया।

लेखापरीक्षा में इन बिन्दुओं को दिखाए जाने पर (जनवरी 2016), बोर्ड ने कहा कि (मार्च 2016) ओ एफ बी एल के जी टी ई (मई 2012) के लिए तकनीकी बोली को पूर्ण रूप देने में हुए विलम्ब के कारण ऐसे प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त/विशेषज्ञता की अनुपलब्धता रही, जिस कारण तकनीकी विशिष्टता से संबंधित अनेकों स्पष्टीकरण माँगे जाने लगे। एल आई एन ए सी मशीन के लिए ओ एफ बी एल के द्वारा नई माँग की प्रस्तुति के लिए 19 महीनों की समय अवधि के संबंध में, बोर्ड ने कहा (मार्च 2016) कि जब मामला पुनः निविदा के लिए चला गया, ओ एफ बी एल ने व्यावहारिक अध्ययन में पाया कि प्रतिष्ठानों में से किन्हीं में भी, उच्च क्षमता के उच्च विस्फोट शेल डिजिटल रेडियोग्राफी के साथ एल आई एन ए सी

मशीन में एक्स-रे नहीं किए गए एवं इसलिए विशिष्टता, विचार विमर्श के खिलाफ प्रतिष्ठित निर्माताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर तैयार की गई थी एवं इसमें उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, पुणे से भी संपर्क किया गया था। बोर्ड ने यह भी पुष्टि की कि पुनः निविदा (सितंबर 2015) के लिए ओ एफ बी एल के द्वारा प्राप्त चार प्रस्तावों को प्रक्रियाधीन (मार्च 2016) किया जा रहा था।

यह जबाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यद्यपि जी टी ई (मई 2012)के विरुद्ध फर्म से प्राप्त तकनीकी बोली सितंबर 2012 में खोले गए थे, ओ एफ बी एल ने दिसंबर 2012 में; फर्मों से स्पष्टीकरण लेने में तीन महीने लगा दिए एवं दिसंबर 2012 में यथाशीघ्र स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बावजूद, निर्माणी ने जुलाई 2013 तक भी मामला नहीं सुलझाया, जिस कारण फर्मों द्वारा प्रस्ताव की वैधता अवधि अक्टूबर 2013 तक नहीं बढ़ाई गई, जैसा कि निर्माणी द्वारा माँग की जा रही थी। आगे, जारी करने को बोर्ड में नई माँग प्रस्तुत करने के लिए 19 महीने की समय अवधि के लिए बोर्ड की प्रामाणिकता केवल यह इशारा करती है कि मंत्रालय के निर्देशों का पालन (जून 2011) करते हुए, ओ एफ बी एल ने अपना ध्यान केन्द्रित नहीं किया, पुनः निविदा जारी करने में 19 महीने की समय अवधि के लिए बोर्ड द्वारा जो कारण बताया गया, उसे निर्माणी शुरू में ही नवंबर 2011 में जानती थी, जब उन्होंने युनिट-5 में एल आई एन ए सी मशीन की आपूर्ति कार्यों की शुरुआत की थी। यहाँ तक कि पुनः निविदा (सितंबर 2015) जारी करने के बाद निविदा खुलने की तिथि और आगे बढ़ाकर दिसंबर 2015 कर दी गई, अधिप्राप्ति कार्यों को अभी भी पूर्ण रूप देना (मार्च 2016) शेष था। परिणामस्वरूप, ओ एफ बी एल युनिट-10 में अप्रचलित मशीन का लगातार प्रयोग करता रहा, जिसमें महंगे एक्सरे फिल्मस एवं रसायन का उपयोग होता रहा एवं समय पर कम्प्यूटेड रेडियोग्राफी सिस्टम को एल आई एन ए सी मशीन के जगह पर प्रतिस्थापन नहीं होने के कारण ₹4.62 करोड़ की बचत की हानि हुई।

यह मामला रक्षा मंत्रालय को जनवरी 2016 में भेजा गया जिसका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2016)।

मशीनरी की अधिप्राप्ति

7.4 एक मशीन के परिचालन में विफलता

मशीन के निष्पादन की बिना जाँच किए हुए वाहन निर्माणी जबलपुर के द्वारा ₹6.32 करोड़ मूल्य की एक मशीन की स्वीकृति एवं बाद में, इसके रख-रखाव में लापरवाही के परिणाम स्वरूप यह मशीन जून 2012 के बाद खराब हो गई।

वाहन निर्माणी जबलपुर (वी एफ जे) ने कहा ₹6.61 करोड़²⁹ मूल्य के सी एन सी लेजर कटिंग मशीन (मशीन)³⁰ के लिए अहमदाबाद के एक फर्म मेसर्स सहजानन्द लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, (फर्म) को एक आपूर्ति आदेश (एस ओ) जारी (फरवरी 2008) किया। मशीन को 15 सितम्बर 2008 को सुपुर्द करने का कार्यक्रम बनाया गया था। आपूर्ति आदेश में अनुबंध किया गया था कि :-

- वी एफ जे को फर्म के द्वारा मशीन के प्रेषण से पहले, एक पूर्व प्रेषण जाँच (पी डी आई) की जाएगी जिसमें मशीन के प्रेषण से पहले फर्म के परिसर में वी एफ जे के निरीक्षकों की उपस्थिति में जरूरी मोटाई³¹ के सभी एम एस सीट के साथ मशीन के कटिंग प्रदर्शन को देखा जाएगा;
- फर्म को स्थल पर मशीन की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अंदर इसे अपने अधिकार में रखना था। उत्पादन के दौरान मशीन चार सप्ताह तक चलती, जिससे वी एफ जे के द्वारा मशीन की अंतिम स्वीकृति से पहले, इसके समय चक्र एवं सटिकता में स्थिरता की जाँच साबित हो जाए;
- विभिन्न प्रकार के मोटाई³² के सभी पदार्थों की कटाई मशीन को साबित करनी चाहिए एवं साथ ही सभी मापदण्डों में जरूरी निष्पादन स्तर प्राप्त करना चाहिए। पदार्थों की प्रत्येक कैटेगरी के अनुसार इसे साबित करने के लिए न्यूनतम 25 संघटकों की जरूरत थी।
- फर्म के कार्यों में पूर्व प्रेषण जाँच की स्वीकृति के बाद पदार्थ की कीमत का 80 प्रतिशत जमा 100 प्रतिशत टैक्स/ड्यूटीज भुगतान किया जाएगा एवं वी

²⁹एक्सआईज ड्यूटी में कमी के कारण ₹6.32 करोड़ तक कमी करना

³⁰धातु शीट के उत्पादन एवं पाईप घटक जो हल्के स्टील, स्टेनलेस स्टील, आर्मर स्टील इत्यादि से बना होता है एवं एल्युमिनियम मिश्रधातु की जरूरत

³¹मशीन के तकनीकी विशिष्टता के पैरा 5 के अनुसार आपूर्ति आदेश में दिखाए गए पैरा 12 के अनुसार 1 मि मी, 2 मि मी, 3 मि मी 4 मि मी, 5 मि मी, 6 मि मी, 8 मि मी, 10 मि मी, 12 मि मी, 15 मि मी, 20 मि मी एवं 25 मि मी मोटाई

³²आपूर्ति आदेश के पैरा 24 के अनुसार, हल्के स्टील 1 मि मी से 25 मि मी स्टेनलेस स्टील, 1 मि मी से 20 मि मी एल्युमिनियम मिश्रधातु 12 मि मी, आर्मर स्टील 16 मि मी एवं जैकाल स्टील 10 मि मी

एफ जे को मशीन की प्राप्ति एवं अधिकार में लेने के बाद पदार्थ की कीमत का शेष 20 प्रतिशत एवं निष्पादन बैंक गारंटी की प्रस्तुति (संविदा कीमत का 20 प्रतिशत) वारंटी अवधि के 60 दिनों के बाद तक वैध रहेगी। वी एफ जे द्वारा एक चालूकरण रिपोर्ट एवं अंतिम स्वीकृति रिपोर्ट जारी की गई जो फर्म की दूसरी किस्त के भुगतान का आधार होगा।

हमने देखा कि पी डी आई के दौरान (10 दिसंबर 2008) फर्म के परिसर में वी एफ जे की टीम ने मशीन की विमितीय सटीकता, स्थिरता एवं गुणवत्ता की कुछ कमियां³³ देखी। इसके अतिरिक्त मशीन के कटिंग चाल के संबंध में 12 मि मी, 16 मि मी. एवं 25 मि मी की मोटाई के हल्के स्टील, आपूर्ति आदेश में जरूरत के अनुसार एवं मशीन की तकनीकी विशिष्टता का अनुकरण नहीं किया गया।

कमियों एवं अधूरी निष्पादन जाँच के बावजूद जाँच टीम ने मशीन के प्रेषण के लिए यह कहकर कि फर्म कमियों पर ध्यान देगी जाँच रिपोर्ट जारी (10 दिसंबर 2008) कर दी।

निर्माणी में मशीन की प्राप्ति 28 दिसंबर 2008 को हुई एवं इसे 17 जनवरी 2009 को अपने प्रभार में लिया। इस अनुसार, वी एफ जे ने फर्म को ₹5.09 करोड़ का भुगतान (जनवरी 2009) कर दिया। फर्म ने 20 जनवरी 2009 से वी एफ जे में मशीन के निर्माण कार्य एवं चालूकरण कार्यों का जिम्मा ले लिया।

हमने देखा कि फर्म चालूकरण जांच के दौरान मशीन के कटिंग मापदण्डों को प्राप्त करने में विफल साबित हुई। फर्म के साथ बैठक में (सितंबर 2009), वी एफ जे ने मशीन की कमियों को दूर करने के लिए फर्म को निर्देश दिया। फिर भी 9 अक्टूबर 2009 को अधिकृत मशीन के कटिंग मापदण्डों की कमियों को बिना दिखाए हुए एक चालूकरण रिपोर्ट³⁴ जारी (27 नवंबर 2009) कर दी। एक अन्तिम स्वीकृति रिपोर्ट जारी नहीं की गयी थी। इसी दिन (27 नवंबर 2009), वी एफ जे ने उत्पादन के लिए मशीन की अनुपलब्धता निष्पादन स्तर में गिरावट या मशीनों की खराब होने की संभावनाओं को देखते हुए चालूकरण की दौरान मशीन के विभिन्न प्रकार की परिचालन समस्याओं³⁵ के बारे में फर्म को रिपोर्ट किया। इसने उस प्रक्रिया की सच्चाई पर संदेह खड़ा कर दिया जिसके द्वारा मशीन को चालू (9 अक्टूबर 2009) घोषित किया गया एवं शेष बची हुई राशि ₹1.23 करोड़ का भुगतान चालूकरण रिपोर्ट के आधार पर लोकल लेखा कार्यालय (एल ए ओ) द्वारा कर दिया गया। एल ए ओ

³³25 मि मी पाईप में दाँता आकार के गहरे दाग देखे गए।

³⁴मशीनी रख-रखाव, इलेक्ट्रिकल रख-रखाव एवं उत्पादन विभाग के द्वारा हस्ताक्षरित

³⁵ आयुध निर्माणियों में संयंत्र एवं मशीनरी के अधिप्राप्ति नियम-परिशिष्ट डब्ल्यू की जरूरत

ने मशीन की अंतिम स्वीकृति रिपोर्ट³⁶ प्राप्त हुए बिना ही राशि का भुगतान कर नियम का उल्लंघन किया।

हमने देखा कि वी एफ जे ने मशीन के चालूकरण के बाद दो वर्षों से भी अधिक के लिए (दिसम्बर 2011 तक) उत्पादन लॉग बुक का रख-रखाव नहीं किया था। फिर भी, फर्म के साथ बैठक में वी एफ जे ने रिकार्ड (अगस्त 2011) किया कि मशीन 03 अगस्त 2011 तक केवल 7578 घंटे तक परिचालित की गई। उत्पादन लॉग बुक के अभाव में, लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न प्रकार के पदार्थों का कटिंग विवरण नहीं जाँचा जा सका।

हमने देखा कि चालूकरण से मशीन में समस्याएँ³⁷ आ रही थीं एवं मार्च 2011 से दिसंबर 2011 के दौरान 169 दिनों के लिए लगातार समय-समय पर मशीन खराब होती रही। फर्म ने वी एफ जे के द्वारा समय-समय पर मशीन की सही देख रेख के अभाव को मशीन के खराब होने का कारण बताया (जुलाई 2011)। वी एफ जे ने मशीन की वारंटी अवधि के (नवंबर 2010) समाप्त होने के उपरांत मशीन के लिए कोई वार्षिक रख-रखाव संविदा की शुरुआत नहीं³⁸ की, जबकि फर्म ने जुलाई 2010 में ही इसका प्रस्ताव दिया था। लेखापरीक्षा प्रश्न (नवंबर 2015) के जबाब में, वी एफ जे ने कहा कि मशीन का कोई रख-रखाव अभिलेख नहीं मिल पा रहा था।

वी एफ जे ने परिणाम रहित मरम्मत पर ₹15.25 लाख³⁹ खर्च किए, लेकिन अंत में मशीन 13 जून 2012 के बाद खराब हो गई। यह नवंबर 2015 तक परिचालन योग्य नहीं रह गई।

लेखापरीक्षा के प्रश्नों (अप्रैल 2013) के उत्तर में, वी एफ जे ने कहा (अप्रैल 2014) कि फर्म ने मशीन के जीर्णोद्धार के लिए संपर्क किया, लेकिन वह अपनी लंबित पड़ी भुगतान राशि⁴⁰ का समाशोधन कराने के लिए जोर दे रहा था। फर्म ने अतिरिक्त कल-पुर्जों के लिए कोई जिम्मेदाराना कार्यक्रम भी तैयार नहीं किया था जो मशीन को

³⁶कटिंग, फोकसिंग लेंस के लगातार टूट एवं टेबल गतिविधि में समस्या इत्यादि के दौरान डिवाइस की लोडिंग/अनलोडिंग, सतही पूर्णता प्राप्त की गई।

³⁷ शटर एसेम्बली से तरल पदार्थों के लिकेज होने की समस्या एवं चिलर यूनिट की खराबी जैसे वॉल स्क्रू मैकेनिज्म के जैड-अक्ष का टूटना।

³⁸ वार्षिक रख-रखाव संविदा के लिए फर्म का प्रस्ताव मशीन के महाप्रबंधक के द्वारा सितंबर 2010 में अनुमोदित किया जिसमें यह प्रतिक्रिया दी गई कि फर्म के द्वारा दिए गए ए एम सी दर को अधिक बताया गया है एवं इसे कम करने के लिए फर्म से निवेदन करने को कहा गया। लेकिन वहाँ पर निर्माणी के द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए।

³⁹ संविदाकार के ₹45.27 लाख के कुल बिल के लिए (सर्विस चार्ज ₹3.14 लाख भी सम्मिलित) ₹15.25 लाख की राशि का भुगतान किया गया। शेष बची राशि ₹30.02 लाख वी एफ जे की देयता थी।

⁴⁰ निर्माणी में फर्म द्वारा सर्विस इंजीनियर को भेजने के लिए फर्म को सर्विस चार्ज के संबंध में लंबित पड़ी राशि जो फर्म को देना शेष था।

प्रयोग में लाने के लिए वी एफ जे की सहायता कर सके। इस गतिरोध के परिणाम स्वरूप कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए।

उत्तर में इस बात का कोई जवाब नहीं था कि पी डी आई में कमियों को देखने के बाबजूद मशीन को डिस्पैच के लिए क्यों भेजा गया, अधिकृत ट्रायल के दौरान कमियों को देखने के बाबजूद एक अधिकृत रिपोर्ट जारी की गयी एवं अंतिम स्वीकृति रिपोर्ट के बिना ही राशि का भुगतान कर दिया गया। यह उत्तर निष्क्रियता को दिखाता है जिससे जून 2012 के बाद मशीन परिचालन योग्य नहीं रह गयी।

इस प्रकार, मशीन के निष्पादन की जाँच किए बिना वी एफ जे द्वारा ₹6.32 करोड़ मूल्य मशीन की स्वीकृति एवं इसके रख-रखाव में लापरवाही के परिणामस्वरूप जून 2012 के बाद मशीन खराब हो गई।

हम यह सिफारिश करते हैं कि मशीन की खरीदारी एवं इसके बिगड़ने की जिम्मेदारी तय करने के लिए इस बात की जाँच की जाए।

यह मामला रक्षा मंत्रालय/आयुध निर्माणी बोर्ड को जनवरी 2016 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016) ।

विनिर्माण

7.5 कार्टरिज केसों का अविवेकपूर्ण उत्पादन

सुधार कमेटी के निर्णय से अलग तथा पाईलट लॉट के सफलतापूर्वक क्लियरेंस मिलने से पहले मैटल एण्ड स्टील फैक्ट्री, ईशापुर के द्वारा सी ई डी कोटिंग किए हुए 20,997 कार्टरिज की अधिक मात्रा का उत्पादन करने के परिणामस्वरूप ₹1.32 करोड़ की परिहार्य स्वीकरण हानि हुई।

वर्ष 1984 में, मेसर्स किन्टेक्स, बुल्गारिया से प्राप्त हस्तांतरित तकनीक पर आधारित, शिल्का एम्यूनीशन स्टील कार्टरिज केस, जिसमें जिंक कॉस्टिंग के साथ कार्बन का प्रतिशत 0.09-0.13 प्रतिशत था, के स्वदेशी/उत्पादन का जिम्मा आयुध कारखाना, खमरिया (ओ एफ के) एवं मैटल एण्ड स्टील फैक्ट्री, ईशापुर (एम एस एफ) ने क्रमशः 1997⁴¹ एवं जनवरी 2002 में लिया।

थल सेना युनिटों ने समय-समय पर एम्यूनीशन के उपयोग के कारण 139 दुर्घटनाओं के बारे में रिपोर्ट किया, जिसमें यह बात सामने आई कि 107 दुर्घटनाएँ आयातित

⁴¹यद्यपि टी ओ टी, 1984 में प्राप्त किया गया, ओ एफ के में स्वदेशी विनिर्माण कार्य 1997 में शुरू किया गया, क्योंकि मेसर्स किन्टेक्स से प्राप्त सी के डी/एस के डी, 1987-91 के दौरान एसेम्बल किए गए एवं 1992-96 के दौरान थल सेना के द्वारा उपकरणों की कोई माँग नहीं की गई थी।

एम्यूनीशन एवं 32 दुर्घटनाएँ आयुध कारखाने द्वारा निर्मित एम्यूनीशन के कारण हुई। ये दुर्घटनाएँ मुख्यतः कार्टरिज केस के फूटने/फटने/टूटने/रिम टूट एवं आगे के भाग के फटने के कारणों पर आधारित थी।

आयुध निर्माणी बोर्ड के प्रतिनिधियों एवं महानिदेशक, गुणवत्ता गारंटी, नई दिल्ली के निरीक्षकों से बनी सुधार कमिटी (कमिटी) ने थल सेना के युनिटो द्वारा समय-समय पर एम्यूनीशन के उपयोग के दौरान विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर विश्लेषण किया। इसके साथ ही आयुध निर्माणी में भी एम्यूनीशन के निर्माण एवं बाद में एम्यूनीशन के प्रमाण की भी जाँच की।

समस्याओं से निजात पाने के लिए, कमिटी ने एम एस एफ को सलाह दी (नवंबर 2004) कि कैथोडिक इलैक्ट्रीक डिपोजिशन (सी ई डी)⁴² कोटिंग किए हुए स्टील कार्टरेज मामले में कार्बन का प्रतिशत 0.09-0.13 से बढ़ाकर 0.16-0.22 कर दिया जाए।

हमने देखा कि यद्यपि सी ई डी कोटिंग एम्यूनीशन के प्रणोदक के साथ अनुकूल है एवं फरवरी 2005 में गुणवत्ता गारंटी नियंत्रक (एम्यूनीशन) के द्वारा संतोषप्रद था। सी ई डी कोटिंग किया हुआ कार्टरिज केस का एक लॉट जंग प्रतिरोधी व्यवहार में विफल साबित हुआ। इसलिए, कमिटी ने एम एस एफ को सलाह दी कि (दिसंबर 2006) आगे सुधारे गए सी ई डी कोटिंग के साथ 1000 कार्टरिज का निर्माण किया जाए। एवं उन्हें (i) जंग प्रतिरोधक व्यवहार जाँच (10 सैम्पल) के लिए गुणवत्ता गारंटी नियंत्रक (धातु), ईशापुर के पास (ii) अनुकूलता जाँच (5 संख्या) के लिए गुणवत्ता गारंटी नियंत्रक (सैन्य विस्फोटक) एवं (iii) डायनैमिक जाँच (86 संख्या) के लिए भेजा जाए। सैम्पलों की तीनों जाँच के सफल क्लियरेंस के बाद स्वीकृत होने पर ही सी ई डी कोटिंग के लिए बल्क उत्पादन क्लियरेंस (बी पी सी) का कार्यक्रम बनाया जाएगा।

चूंकि जिंक के साथ कोटेड बढ़ाए गए कार्बन तत्व के साथ स्टील कार्टरिज केस का निष्पादन फॉयरिंग के साथ संतोषजनक पाया गया था, अतः कमिटी ने नए रासायनिक कार्बन तत्व तथा जिंक कोटिंग के साथ प्रत्येक कार्टरिज केसों की 5,000 संख्याओं वाले दो लॉटों का निर्माण करने के लिए एम एस एफ को जूलाई 2007 में प्राधिकृत किया तथा उन्हें बढ़ाए गए तत्व के साथ स्टील कार्टरिज केस के लिए बल्क उत्पादन अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व प्रमाण के रूप में रखा।

हमने देखा कि एम एस एफ के द्वारा बढ़ी हुई कार्बन मात्रा एवं जिंक कोटिंग के साथ बनाए गए कार्टरिज केस की 10,000 संख्या की अक्टूबर 2007 तथा नवम्बर 2007 में ओ एफ के में सफल रूप से फायरिंग की गई। इस अनुसार, कमिटी ने बढ़ी

⁴²कार्टरिज केस में कॉपर का इलैक्ट्रोप्लेटिंग

हुई कार्बन मात्रा एवं जिंक कोटिंग के साथ कार्टरिज केस के निर्माण के लिए एम एस एफ के लिए बी पी सी स्वीकृत किया (नवंबर 2007), क्योंकि (i) सी क्यू ए (एम ई) को अनुकूलता जाँच के लिए भेजे गए 100 ग्राम सी ई डी कोटिंग पदार्थों के परिणाम प्राप्त नहीं हुए एवं (ii) सी ई डी कोटिंग के साथ कार्टरिज केस की 250 संख्या जंग प्रतिरोधक जाँच अगस्त 2007 एवं नवंबर 2007 में सी क्यू ए (धातु) ईशापुर में असफल साबित हुई जिसमें सी ई डी कोटिंग को अस्वीकार किया गया जब तक कि इसे सिद्ध न किया जाए। आगे मई 2008 में हुए मीटिंग में, कमीटी ने दर्ज किया कि (i) वैकल्पिक जिंक पैसीवेशन के रूप में सी ई डी कोटिंग की क्षमता के लिए इसकी कवायद चल रही थी। (ii) सैम्पल की 10 संख्या जंग प्रतिरोधक जाँच के अंदर थी एवं (iii) एवं सी ई डी कोटिंग किए 490 सैम्पल एम एस एफ में उपलब्ध थे।

स्टील कार्टरिज केस एवं इसके सतही कोटिंग में सुधार के संबंध में ज्वाइंट सेक्रेटरी/रक्षा उत्पादन, नई दिल्ली के कार्यालय में अगस्त 2010 में बात-चीत की गई जहाँ पर यह निर्णय लिया गया कि आयुध निर्माणी बोर्ड यूजर के विश्वास को जीतने के लिए सुधरे हुए उपकरणों के 10,000 राउंड सप्लाई करेगा। बाद में, अगस्त 2010 में हुई वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए, कमेटी सितम्बर 2010 में एम एस एफ पहुँची, जहाँ पर जिंक कोटिंग के स्थान पर सी ई डी कोटिंग की सलाह दी गई, जो सॉल्ट स्प्रे टेस्ट में सी ई डी कोटिंग के साथ कार्टरिज केस के 20 नमूनों की सफल कोशिशों के बाद की जानी थी। इस प्रकार कमेटी ने स्टील कार्टरिज केस के बी पी सी की स्वीकृति के पहले कार्टरिज केस के एम एस एफ को केवल 1000 कार्टरिज केस के पाईलाट लॉट के विनिर्माण की सलाह दी, ताकि जो सी ई डी कोटिंग की नई कैमैस्ट्री एवं सी ई डी कोटिंग के साथ स्टील कार्टरिज केसों के लिए बी पी सी प्रदान करने से पूर्व विभिन्न प्रकार की जाँचों से गुजारा जा सके।

जंग प्रतिरोधक जाँच में सी ई डी कोटिंग किए हुए कार्टरिज केस के पाईलॉट लॉट की विफलता के संबंध में एवं बाद में इसे प्रमाणित करने के दौरान लंबात्मक एवं परिधात्मक दरार के आने के कारण, एम एस एफ में एक बार स्टील कार्टरिज केस की सतह पर सी ई डी कोटिंग बंद कर दी गई एवं दिसंबर 2012 के बाद इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया।

हमने यह देखा कि यद्यपि कमीटी ने एम एस एफ को ट्रायल के लिए पाईलॉट लॉट⁴³ सी ई डी कोटिंग किए हुए नए कैमैस्ट्री पर आधारित कार्टरिज केस की 1000 संख्या के विनिर्माण की सलाह दी थी, फैक्ट्रियों ने वास्तव में पाँच वारेन्टस के विरुद्ध (नवंबर 2006-2011) 21,997 संख्या के नए कैमैस्ट्री पर आधारित कार्टरिज केस का

⁴³किसी चीज के विकास के लिए, पायलॉट लॉट में उत्पादन का काम शुरू किया गया, एवं ट्रायल/प्रमाण के समय पायलॉट लॉट के सफल प्रदर्शन के आधार पर आइटम के थोक निर्माण सामान्य रूप से आयुध निर्माणी में किए जाते हैं। यह आयुध निर्माणी को भारी नुकसान से बचाने के लिए सुरक्षा गार्ड था, यदि थोक में उत्पादित चीजे प्रमाण/ट्रायल में विफल घोषित होती।

विनिर्माण कर लिया, जिसका मूल्य ₹1.38⁴⁴ करोड़ था एवं इस पर सी ई डी कोटिंग करने के लिए कुल ₹1.05 लाख लगे, जिसके लिए फरवरी 2007 से सितंबर 2010 के बीच तीन सप्लाई आदेश प्राप्त हुए थे। फिर भी, मांगने के बावजूद भी (जुलाई - 2015 - जनवरी 2016) लेखा-परीक्षा को कॉस्ट कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए। इस प्रकार एम एस एफ को नई प्रकार की कैमेट्री के कार्टरिज केस की 20,997 संख्याओं के परिहार्य सी ई डी कोटिंग के लिए ₹1.32 करोड़ की हानि हुई।

जबाब में मंत्रालय ने कहा (सितम्बर 2015) कि सी ई डी कोटिंग किए हुए नए प्रकार के कैमेट्री वाले कार्टरिज केस विभिन्न प्रकार के फोरम में लिए गए निर्णयों के आधार पर एम एस एफ के द्वारा बनाए गए थे एवं यह बात प्रोजेक्ट मोनिटरिंग टीम को भी बताई गई थी, जो कार्टरिज केस की विफलता को देख रहा था ताकि आगे सही कदम उठाने की सलाह दे सके।

मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पायलट के ट्रायल में सफल क्लियरेंस के पहले ही एम एस एफ के द्वारा सी ई डी कोटिंग किए हुए नए प्रकार के कैमेट्री वाले कार्टरिज केस की अत्यधिक संख्या 20,997 के विनिर्माण का निर्णय, कमिटी की सलाह का उल्लंघन था एवं यह निर्णय अविवेकपूर्ण था, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.32 करोड़ के परिहार्य अस्वीकृत हानि का सामना करना पड़ा।

इस प्रकार, एम एस एफ के द्वारा सी ई डी कोटिंग किए हुए नए प्रकार की कैमेट्री वाले कार्टरिज केस की 20,997 की अत्यधिक संख्या का विनिर्माण का निर्णय सुधार कमिटी के निर्णय से अलग हटकर था एवं इसे ट्रायल में पायलट लॉट के सफल क्लियरेंस के पहले करने के परिणामस्वरूप ₹1.32 करोड़ का परिहार्य हानि का सामना करना पड़ा।

विविध

7.6 अस्वीकृत फ्यूज को न बदलने के कारण सामान का अवरोधन

फ्यूजों की आपूर्ति के अनुबंध की शर्तों को लागू कराने एवं प्रतिकार शर्तों का पालन करवाने में आयुध निर्माणी, चाँदा की असफलता के परिणामस्वरूप ₹6.05 करोड़ के अस्वीकृत फ्यूज बेकार पड़े रहे।

आयुध निर्माणी, चाँदा (ओ एफ सी एच) ₹9.08 करोड़⁴⁵ की लागत से 50,000 फ्यूज की आपूर्ति के लिए मेसर्स किनटेक्स शेयर होल्डिंग कम्पनी, बुल्गारिया (फर्म) से एक अनुबंध किया (फरवरी 2012)। बारूद से भरे हुए बी-429 ई फ्यूज (फ्यूज) ओ एफ

⁴⁴निर्माणी प्रबंधन के द्वारा ईकाई कार्टरिज का मूल्य प्रस्तुत किया गया।

⁴⁵14 लाख यूरो के बराबर।

सी एच द्वारा प्राप्त करके निरीक्षण करने के बाद आयुध निर्माणी, बडमाल (ओ एफ बी एल)⁴⁶ की ओर से थलसेना को सीधे भेजने थे। आपूर्ति करने की तय तिथि अक्टूबर 2012⁴⁷ थी जिसके लिए ओ एफ सी एच द्वारा पूरा भुगतान⁴⁸ माल की प्राप्ति के पश्चात करना था।

आयातित की जाने वाली मद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस अनुबंध में निम्नलिखित शर्तें थी:

- ओ एफ सी एच के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में फर्म के परिसर में फ्यूजों का प्रेषण-पूर्व निरीक्षण (पी डी आई)। यदि, ओ एफ सी एच पी डी आई में उपस्थित नहीं हो पाती है तो अनुरूपता एवं स्वीकृति प्रतिवेदन फर्म के गुणता आश्वासन प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित होगी जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य होगी। उस स्थिति में, फर्म द्वारा माल की उनकी वारंटी/गारंटी प्रमाण-पत्र के अंतर्गत आपूर्ति की जाएगी;
- फर्म के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्राप्त माल का संयुक्त प्राप्ति निरीक्षण (जे आर आई), जिसके लिए ओ एफ सी एच द्वारा फर्म को कम से कम 15 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना था। यदि, फर्म के प्रतिनिधि प्राप्तकर्ता के निरीक्षण के दौरान उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो प्राप्तकर्ता की ओर से निरीक्षण प्रक्रिया एवं स्वीकृति प्रमाण-पत्र पर केवल ओ एफ सी एच के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर होंगे और वह फर्म पर बाध्यकारी होगा;
- गुणवत्ता में कमी या किसी त्रुटि की स्थिति में, ओ एफ सी एच द्वारा एक गुणवत्ता दावा किया जाएगा जोकि फर्म द्वारा दावे की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर निपटाया जाएगा;
- फर्म द्वारा 1.4 लाख यूरो का एक निष्पादन गारंटी बॉन्ड उपलब्ध कराया जाएगा जिसका ओ एफ सी एच द्वारा फर्म के अनुबंध की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में भुगतान करवाया जाएगा;
- यदि अनुबंध की शर्त को पूरा करने में कोई विवाद होता है, तो ओ एफ सी एच फर्म को इसकी जानकारी देगी और इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर मामले की मध्यस्थता के लिए संस्तुति की जाएगी।

⁴⁶125 मि मी हाई एक्सप्लोसिव एम्यूनिशन, जिसके लिए बी-429 फ्यूज का उपयोग किया जाता है, के लिए ओ एफ बी एल फिलिंग निर्माणी है।

⁴⁷पहले तय तिथि अगस्त 2012 थी जो बाद में बढ़ाकर (सितम्बर 2012) अक्टूबर 2012 कर दी गई।

⁴⁸अनुबंध मूल्य का 100 प्रतिशत भारतीय स्टेट बैंक, नागपुर के माध्यम से वापस न हो सकने योग्य लेटर आफ क्रेडिट द्वारा।

ओ एफ सी एच ने तीन खेपों⁴⁹में ₹10.08 करोड़⁵⁰ के भुगतान के बाद वारंटी/गारंटी प्रमाण-पत्र के साथ बिना पी डी आई किए 50,000 फ्यूज प्राप्त किए (दिसम्बर 2012)।

ओ एफ सी एच ने फर्म को जे आर आई के लिए आमंत्रित नहीं किया। जबकि 10,000 फ्यूज वाली पहली खेप (खेप सं.4) को गुणवत्ता निरीक्षण (फरवरी 2013 एवं मई 2013) के दौरान अस्वीकृत⁵¹ कर दिया गया तथा 20,000 फ्यूज की एक अन्य खेप (खेप सं.2) स्वीकार कर ली गई (मई 2013)।

ओ एफ सी एच ने त्रुटिपूर्ण फ्यूजों के निशुल्क बदलाव के लिए फर्म पर एक गुणवत्ता दावा प्रेषित किया (मई 2013) खेप सं.4 फर्म इस आधार पर सहमत नहीं हुई कि गतिशील परीक्षण के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की गई थी। फिर भी, फर्म ने अपने दल को ओएफसीएच भेजने का प्रस्ताव रखा (जून 2013)। यह प्रस्ताव रखा गया कि दल उन दशाओं के बारे में जिसमें भारत में गतिशील परीक्षण किए जाने थे, तथा बचे हुए 20,000 फ्यूजों (खेप सं.3), जिनका उस समय तक परीक्षण नहीं हुआ था, के परीक्षण के दौरान उपस्थित रहने पर चर्चा करेगा।

फर्म ने बोर्ड/ओ एफ सी एच से शिकायत की (जुलाई 2014) कि स्थिति को संभालने के भरपूर आपसी प्रयासों के बावजूद उन्हें इसे पूरा करने का कोई व्यवहारिक विकल्प नहीं दिया गया⁵²। फर्म ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत में एक बैठक आयोजित करने का, और यदि आवश्यक हो तो खेप सं.4 के लिए दोबारा प्रूफ एवं खेप सं.3 के लिए नए प्रूफ कराने का सुझाव (जुलाई 2014) दिया। बोर्ड ने ओ एफ सी एच को फर्म से यह मामला निपटाने का निर्देश दिया (अगस्त 2014)। फर्म ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे।

ओ एफ सी एच ने फर्म के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में खेप संख्या 3 एवं 4 की गतिशील प्रूफ जाँच पूरी की (मार्च 2015)। खेप संख्या 4 दोबारा अस्वीकृत हो गई; खेप संख्या 3 भी अस्वीकृत हो गई; दोनों खेपों की अस्वीकृति के बारे में फर्म को बताया गया (अप्रैल 2015) फर्म इस निर्णय⁵³ (मई 2015) से सहमत नहीं थी और

⁴⁹20,000 फ्यूजों के लिए खेप संख्या 02-12-33, 20,000 फ्यूजों के लिए खेप संख्या 03-12-33 एवं 10,000 फ्यूजों के लिए खेप संख्या 04-12-33।

⁵⁰ फ्यूजों की कीमत ₹10.04 करोड़ थी तथा ₹0.04 करोड़ बैंक प्रभार था।

⁵¹केन्द्रीय प्रमाण स्थापना, इटारसी में की गई गतिशील शूटिंग के दो मौकों पर परवर्ती प्रभाव देरी 15 मिनट से 60 मिनट की स्वीकृत सीमा से अधिक थी।

⁵²सितम्बर 2013 में बैठक का स्थगन; फरवरी 2014 में सामान्य व्यवहार के डिले फंगशन प्रूफ के लिए उचित दशाएं उपलब्ध नहीं कराई गई एवं फर्म की भारत में एक संयुक्त बैठक आयोजित करने की प्रार्थना ओ एफ सी एच/ओ एफ बी द्वारा पूरी नहीं की गई।

⁵³इस असहमति के लिए आधार यह था कि ओ एफ सी एच द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में 18 मार्च 2015 को किए गए परीक्षणों के दौरान उपयोग किए गए राउंड के बारे में पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं था और यह माना गया कि फरवरी 2014 में किए गए परीक्षणों में उपयोग किए गए अग्नि बम्ब विन्यास का एक प्रक्षेपक मार्च 2015 में भी उपयोग किया गया एवं इसलिए यह असफलता अग्नि बम्ब विन्यास के चालू होने की असफलता मानी गई न कि फ्यूज की।

इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत में पुनः एक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव दिया। ओ एफ सी एच ने इसके जवाब में फर्म से चर्चा के लिए उनके लोगों को भारत में भेजने का अनुरोध किया (नवम्बर 2015)।

खेप संख्या 4 एवं खेप संख्या 3 के संदर्भ में गुणवत्ता संबंधी दावा क्रमशः मई 2013 एवं अप्रैल 2015 (45 दिन की निश्चित अवधि के सापेक्ष) तक नहीं सुलझाया जा सका। लेकिन ओ एफ सी एच/ओ एफ बी द्वारा अनुबंध की मध्यस्थता शर्त के अनुसार मामले को पंचाट अधिकरण में ले जाने के लिए फर्म को नोटिस जारी करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। ओएफसीएच ने (मार्च 2016) फर्म द्वारा भेजी गई 1.40 लाख यूरो (₹1 करोड़ के बराबर) निष्पादन गारंटी बांड का भुगतान कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जबकि यह 31 मार्च 2016 तक वैध थी।

बोर्ड ने कहा (मार्च 2016) इस मुद्दे को आपसी समझ से सुलझाने के लिए यह मामला ओ एफ सी एच द्वारा विचारीधीन है। उन्होंने इसमें और जोडा कि ओ एफ सी एच अनुबंध के उपचारी प्रावधानों को लागू नहीं करवा सकता क्योंकि अब तक संदर्भित मात्रा की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

बोर्ड का पक्ष स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गुणवत्ता दावा प्रस्तुत करने की तिथि के तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात भी यह मामला अभी तक अनसुलझा है।

इस प्रकार ओ एफ सी एच द्वारा फ्यूजों की आपूर्ति के अनुबंध के उपचारी प्रावधानों को लागू करने एवं उनका पालन करवाने में असफलता के कारण ₹6.05 करोड़⁵⁴ के फ्यूज उनके पास बेकार पड़े हैं।

यह मामला रक्षा मंत्रालय को जनवरी 2016 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016) ।

7.7 लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली

आयुध निर्माणी, मेडक के द्वारा साख पत्र तैयार करने के लिए बैंक चार्ज (₹18.90 लाख) की परिहार्य अदायगी को लेखापरीक्षा में दिखाए जाने पर यूनिट के द्वारा इसकी वसूली की गई।

लेखापरीक्षा के द्वारा अनियमितता को दिखाए जाने पर आयुध निर्माणी मेडक (ओ एफ एम के) ने ₹18.90 लाख के बैंक चार्ज के रूप में परिहार्य/अधिक अदायगी की वसूली की गई। इसका विवरण नीचे दिया गया है।

आयुध निर्माणी बोर्ड (बोर्ड) ने मेसर्स मिश्र धातु लिमिटेड (मिधानी) के साथ वाईड आर्मर प्लेट्स, जिसकी जरूरत ओ एफ एम के को मिधानी पर थी, के निर्माण के

⁵⁴50,000 भरे हुए फ्यूजों की कीमत = ₹10.08 करोड़। 30,000 फ्यूजों की आनुपातिक कीमत = ₹10.08 करोड़ x 30,000/50,000 = ₹6.05 करोड़

लिए एक समझौता जापन (मार्च 2011) किया, जिसमें कुल ₹507 करोड़ के निवेश में से बोर्ड का भाग ₹ 307 करोड़ था। बैंकिंग लेन देन के लिए एक एसक्रो एकाउंट खोलने की आवश्यकता थी, जिसके लिए बोर्ड (ओ एफ एम के की ओर से), मिधानी एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हैदराबाद के बीच एक त्रिकोणीय समझौता (समझौता) किया गया। त्रिकोणीय समझौता के अनुच्छेद 3 (ii) के अनुसार, साख पत्र (एल.सी.) को तैयार करने एवं इसमें सुधार करने के लिए सभी बैंक चार्ज मिधानी के द्वारा दिए जाने थे।

फिर भी, ओ एफ एम के ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हैदराबाद को अधिकृत (अक्टूबर 2012) किया कि उपकरण के आयात के लिए मिधानी के क्रय आदेश (मई 2011) के लिए साख पत्र तैयार करने के लिए बोर्ड के एसक्रो एकाउंट से ₹18.90 लाख (जुलाई 2012) की राशि बैंक चार्ज के रूप में डेबिट कर ली जाए जबकि समझौते के अनुसार बैंक चार्ज मिधानी को देना था।

लेखापरीक्षा के दौरान इन बिन्दुओं को दिखाए जाने पर (मार्च 2014), ओ एफ एम के ने इस बात को मिधानी के सामने रखा एवं मिधानी से ₹18.90 लाख की वापसी (नवम्बर 2015) प्राप्त की। इसके जबाब में बोर्ड ने सुनिश्चित (मार्च 2016) किया कि ₹18.90 लाख की वापसी लेखापरीक्षा के द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर ही हो पाई है।

यह मामला रक्षा मंत्रालय को जनवरी 2016 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016) ।